रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082023-248024
CG-DL-E-11082023-248024

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3434] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945
No. 3434] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11 , 2023/SHRAVANA 20, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3588(अ).—यत: आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उ+9प-धारा (4) की खंड (ख) की उप-धारा (2) ऐसे प्रयोजनों हेतु स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान करता है, जैसा कि राज्य के हित में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार, विहित करे;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण (इसके बाद इसे उक्त नियमावली कहा जाएगा) किया है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए अनुमति मांग सकती है, नामत:-

1. सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लैटफोर्मो का उपयोग ;
2. समाज कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम; और
3. नवाचार को सक्षम करना और ज्ञान का विस्तार।

और यत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंत्रालय की सड़क परिवहन और अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं की बोलियों हेतु परामर्शी फर्मो द्वारा कार्यों के लिए नियुक्त किए जा रहे प्रमुख कार्मिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सत्यापन हेतु आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए उक्त नियमावली के नियम 4 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक आवेदन किया है;

और यत: इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य निर्माण विभागों के सड़क और अवसंरचना निर्माण कार्य तथा परियोजनाओं हेतु बोलियों के मूल्यांकन में शामिल प्रमुख व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए हां या नहीं और ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए, स्वैच्छिक आधार पर, निवासियों के आधार प्रमाणीकरण के प्रदर्शन के लिए उक्त नियमावली के नियम अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्राधिकृत किया;

अब, इसलिए, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के अनुसरण में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, नामत:-

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अपनी कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से ई-गवर्नेंस के लिए बायोमेट्रिक/वन टाइम पासवर्ड और ई-केवाईसी सेवा का उपयोग करके प्रमाणीकरण कर सकता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उक्त नियमावली के नियम 4 के अंतर्गत उल्लिखित उपभोक्ता एजेंसी के उप-प्रमाणीकरण के लिए मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा;

(ख) आवासियों का आधार प्रमाणीकरण मंत्रालय द्वारा इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सेवा अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए किया जाएगा और उसके पश्चात् संबंधित आवासी की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बायोमैट्रिक और वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करते हुए आवासियों की जनसांख्किकीय जानकारी प्राप्त की जाएगी;

2. अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. ए-12025/8/2023- एनएचआईडीसीएल सेल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3588(E).—WHEREAS sub-section (2) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) allows performing authentication on voluntary basis for such purposes as the Central Government in consultation with Unique Identification Authority of India and in the interest of the State, may prescribe;

AND WHEREAS the Central Government has made the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) under which the Government can seek permission to use aadhaar authentication on voluntary basis, for the following purposes, namely: —

(a) usage of digital platforms to ensure good governance;

(b) prevention of dissipation of social welfare benefits; and

(c) enablement of innovation and the spread of knowledge.

AND WHEREAS the Ministry of Road Transport and Highways has made an application to the Ministry of Electronics and Information Technology under rule 4 of the said rules for using aadhaar authentication for verification for online registration of key personnel being engaged by consultancy firms for Road Transport and Infrastructure construction bids for projects of the Ministry;

AND WHEREAS the Ministry of Electronics and Information Technology authorised the Ministry of Road Transport and Highways under rule 5 of the said rules for performance of aadhaar authentication of residents, on voluntary basis, using yes or no and e-KYC authentication facility, for establishing the identity of key persons involved in road and infrastructure construction work and evaluation of bids for projects of the Ministry of Road

Transport and Highways, the Central Public Work Department and State Public Works Departments during the process of online registration;

NOW, THEREFORE. in pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Road Transport and Highways hereby notifies the following, namely: —

a. the Ministry of Road Transport and Highways may carry out authentication using biometric/ One Time Password methods as well as e-KYC service for the e-Governance applications of Ministry through its implementing agency, National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited and the Ministry of Road Transport and Highways and National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited shall abide by the terms and conditions of the Memorandum of Understanding entered into between the Ministry and National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited for sub-authentication user agency mentioned under rule 4 of the said rules;

b. the aadhaar authentication of residents shall be performed by the Ministry through its implementation agency National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited by using service application of the Unique Identification Authority of India and then fetch demographic information of the residents using biometric and one-time password only after obtaining the consent of the resident concerned;

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. A-12025/8/2023-NHIDCL Cell]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.11 18:48:11 +05'30'